न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।)

क्रमांकः— ओ0एस0डी0/नविवि/12 दिनांक :— 04-04-2013

अवार्ड

विषयः—केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 11 के तहत राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना कस्बा निवाई, जिला टोंक में कुल रकबा 87—16 बीघा का अवार्ड जारी करने बाबत।

सन्दर्भः—अधिसूचना क्रमांक प.7(80)न.वि.वि./III/06 दिनांक 01.07.10

राजस्थान आवासन मण्डल हेतु सार्वजनिक हित में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्ति की अधिसूचना कस्बा निवाई, जिला टोंक में कुल रकबा 87—16 बीघा के लिए अन्तर्गत धारा 4(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.07.10 को जारी की गयी जिसमें भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(2) के तहत विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भूमि अधिग्रहण हेतु अधिकृत किया गया।

उक्त अधिसूचना का दिनांक 12.07.10 को राजस्थान राज—पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन कराया गया। इसी प्रकार अधिसूचना का दो समाचार पत्रों में यथा "दैनिक भास्कर" व "दैनिक सांध्य ज्योति दर्पण" जयपुर में दिनांक 02.09.10 को प्रकाशन करवाया गया। सार्वजनिक हित में व्यापक प्रचार—प्रसार की दृष्टि से अधिसूचना के पब्लिक नोटिस दिनांक 11.10.10 को सम्बन्धित को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाए गये जिनकी तामीली की अन्तिम दिनांक 20.10.10 अंकित की गयी है। इस प्रकार धारा 4(1) की अन्तिम प्रकाशन की तिथि 2420.10.10 निश्चित की गयी है।

प्रकरण में विशेषाधिकारी द्वारा धारा 4(1) के समय प्राप्त सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 28.04.11 को 5ए की मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें सम्पूर्ण भूमि रकबा 87—16 बीघा की धारा 6 की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया। इसी के आधार पर राज्य सरकार द्वारा भूमि 87—16 बीघा की धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 19.05.11 को जारी की गयी जिसका राजस्थान के राजपत्र के विशेषांक में 26.05.11 को प्रकाशन करवाया गया तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों "दैनिक भास्कर' व "डेली न्यूज" जयपुर संस्करण में दिनांक 23.07.11 को प्रकाशन करवाया गया। पब्लिक नोटिस अन्तर्गत धारा 6(2) दिनांक 09.09.11 को जारी कर आवासीय अभियंता के द्वारा तामील करवाये गये जिसके अनुसार तामीली की अन्तिम दिनांक 30.09.11 निश्चित की गई। अवाप्ति प्रक्रिया में आगे व्यापक प्रचार—प्रसार हेतु सार्वजनिक हित में धारा 9(1) के नोटिस दिनांक 30.11.11 एवं धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस दिनांक 06.02.12 को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाए गये जिसमें धारा 9(3) के नोटिस के क्रम में खातेदारों से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के क्रम में विकसित भूखण्ड लेने का विकल्प भी प्रस्तुत किया जा सकता है बाबत सूचित किया गया। धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस के क्रम में खसरा नं. 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326 से 1338, 1341 से 1344, 1346 से 1355, 1358 एवं 1359 के खातेदारों ने 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड के विकल्प के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गए। मण्डल को पत्र दिनांक 11.02.11 एवं 03.12.12 द्वारा खातेदारों से प्राप्त 25 प्रतिशत विकसित भूमि के प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित कर टिप्पणी मांगी गई। इसके प्रत्युत्तर में सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 22.02.11 एवं 17.01.13 द्वारा सूचित किया कि उक्त खसरा नम्बरों में 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड चाहने वाले खातेदारों/हितधारियों को भूखण्ड दिए जाने से मण्डल सिद्धान्तः सहमत है तथा अवार्ड जारी करने का अनुरोध किया।

अनुमोदित
संयुक्त शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

175

423

धारा 6 के अनुसार कस्बा निवाई, जिला टोंक में अवाप्त की जाने वाली भमि

क्र. सं.	ग्राम/ पटवार क्षेत्र	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा/क्षेत्रफल बीघा – बिस्वा	भूमि की किस्म	टिप्पणी
1.	कस्बा निवाई जिला टोंक	कौशल्या देवी पत्नी रामकिशन शर्मा जाति ब्राहम्ण नि. अलियाबाद	1320 1321	4–09 0–07	नहरी नहरी	
2.	कस्बा निवाई जिला टोंक	रामविलास, कन्हैया, महावीर पि. तेज्या तुलसा सन्तोक ग्यारसी सीता पुत्रियां तेज्या, बरदी बेवा तेज्या हि. 8/9 बाबू पुत्र जगदीश मोत्या बेवा जगदीश हि. 1/9 कोम माली सा. देह खातेदार	1322	2–12	नहरी	
3.	कस्बा निवाई जिला टोंक	रामविलास, कन्हैया महावीर पि. तेज्या तुलसा, सन्तोक ग्यारसी सीता पुत्रियां तेज्या बरदी बेवा तेज्या हि. 4/9 बाबू पुत्र जगदीश, मोत्या बेवा जगदीश हि. 1/18 हनुमान, रामचन्द्र चोथमल पि. मोती पांची प्रेम धापू पुत्रियां मोती जमना बेवा मोती हि. 7/8 व गणेश पुत्र बजरंगा, नाथी बेवा बजरंगा हि. 1/8 कौम माली सा. देह खातेदार	1323 1324 1325	0.04 2.12 2.00	गै.मु. बाडा 0.04 नहरी 2.05 बंजड़ डोल 0.07 बारानी ए–0.04 नहरी 1–16	
	कस्बा निवाई जिला टोंक	गोपाल, नोरतन पि. रामपाल, सोहनी बेवा रामपाल हि. 2/10 बिला रहन, प्रहलाद, सीताराम पि. केशरा, केशर बेवा केशरा, हि. 2/10, राहिन भूमि विकास बैंक फूला पुत्री केशरा ह. 1/10, हि. 1/2, हनुमान, चौथू, रामचन्द्र पि. मोती हि. 3/16, गणेश पुत्र बजरंग लाल हि. 1/16, रामविलास, कन्हैया, महावीर पि. तेज्या तुलसा, सन्तोक, ग्यारसी, सीता पुत्रियां तेज्या बरदी बेवा तेज्या हि. 8/36, बाबू पुत्र जगदीश, मोत्या बेवा जगदीश हि. 1/36 कौम माली सा. देह खातेदार।	1326 1327 1328 1330 1331 1332	0.17 0.17 1.13 1.11 0.17 2.08	नहरी 3 नहरी 3 नहरी 3 नहरी 3 नहरी 3 नहरी 3	
	कस्बा निवाई जिला टोंक	प्रभु पुत्र नाथू, बिरदा बेवा नाथू सूजा पुत्री नाथू कोम माली सा. देह खातेदार, राहिन भूमि विकास बैंक टोंक मूर्तहिन।	1329	2.11	नहरी 3	

अनुमोदित

संयुक्त शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

176 (424)

6.	कस्बा निवाई जिला टोंक	रामकिशोर, गुलाबचन्द पि. कालू, लादी पुत्री कालू, हि. 3/8, कन्हैयालाल, रमेश, धन्नालाल, छोटू पिता केशरा सीता पुत्री केशरा, फूला बेवा केशरा, हि. 1/8, औकार पुत्र नारायण हि. 1/6, रामकरण पुत्र नारायण हि. 1/6, राहिन सम्पूर्ण स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, जमना पुत्र नारायण हि. 1/6 कौम माली सा. देह खातेदार	1333 1334 1335	1.17 1.17 2.02	नहरी नहरी नहरी	
7.	कस्बा निवाई जिला टोंक	भागीरथ पुत्र गंगाराम हि. 1/2, नानगराम, ताराचन्द गणेश पि. लक्ष्मीनारायण हि. 3/8, कन्हैया पुत्र गोपाल 1/8	1336	3.07	बारानी 1	
8.	कस्बा निवाई जिला टोंक	श्रीमति मधुबाला, कोटावाला, धर्मपत्नि श्री नन्दकुमार जी, कोटावाला जाति अग्रवाल हि. नि. – 3, कृष्णा मार्ग सी–स्कीम जयपुर।	1337 1338 1341 1343 1344 1346 1347 1348 1349 1351 1353 1354 1355 1358 1359	1.15 3.16 7.13 0.03 2.00 1.15 2.00 1.02 2.15 1.18 1.13 0.09 1.09 1.01 1.19	बारानी 2 बारानी 2 नहरी बंजड़ 1 नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी 3 नहरी 3 नहरी 3 गै. मु. आबादी नहरी 3 नहरी नहरी	
9.	कस्बा निवाई जिला टोंक	भागीरथ पुत्र गंगाराम हि. 1/2, नानगराम, ताराचन्द, गणेश पि. लक्ष्मीनारायण हि. 3/8, कन्हैया पुत्र गोपाल हि. 1/8, कौम माली सा. देह खातेदार	1342 1352	4.12 5.01	बंजड बारानी	
10.	कस्बा निवाई जिला टोंक	श्रीमती मधुबाला कोटावाला पत्नी श्री नन्दकुमार कोटावाला निवासी–एल–3, कृष्णा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।	1350	3.13	नहरी	
11.	कस्बा निवाई जिला टोंक	हनुमान, रामबाबू, बजरंग लाल पि. जगदीश, सन्तोष, संतरा, मन्नू पूत्रियां जगदीश, गोविंदी बेवा जगदीश कोम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार	1356	3.05	नहरी	

अनुमोदित

संयुक्त शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

12.	कस्बा निवाई जिला टोंक	नगरपालिका निवाई	1339	6.09	गै.मु.आबादी	
13	कस्बा निवाई जिला टोंक	राजस्थान सरकार	1357	1.07	चारागाह	
		भूमि का कुल क्षेत्रफल		**87.16 बीघा**		

भूमि का मुआवजा निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित आवासीय अभियंता से धारा 4(1) की अधिसूचना की दिनांक 01.07.10 को प्रचलित भूमि की डी.एल.सी. दरे व तकमीना प्रेषित करने हेतु पत्र दिनांक 06.09.12 द्वारा सूचित किया गया। आवासीय अभियंता से उप पंजीयक निवाई टोंक के पत्र दिनांक 01.02.13 द्वारा प्रमाणित डी.एल.सी. दरें प्राप्त हुई जिसमें डी.एल.सी. दरे प्रति बीघा एवं आवासीय दरे प्रति वर्गगज निम्न प्रकार दर्शायी गईः–

सड़क सीमा से 200 मीटर अन्दर तक	**सड़क सीमा से 201 मीटर से 500 मीटर अन्दर तक**		**सड़क सीमा से 500 मीटर से अधिक**		**आवासीय दर**	
	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सड़क पर	कच्चे रास्ते/ ग्रेवल मिट्टी रोड़ पर
15,02,000/ –रू. प्रति बीघा	4,05000/– रू. प्रति बीघा	3,18,000/ –रू. प्रति बीघा	3,18,000/– रू. प्रति बीघा	2,43,000/ –रू. प्रति बीघा	3000/–रू. प्रति वर्गगज	2000/–रू. प्रति वर्गगज

आवासीय अभियंता ने पत्र दिनांक 18.09.12 द्वारा प्रेषित नक्शे पर दर्शाते हुए अवगत कराया कि अवाप्ताधीन भूमि के खसरा नं. 1337, 1338, 1339, 1341 से 1344 एवं 1346 से 1359 तक सड़क सीमा से 200 मीटर अन्दर तक खसरा नं. 1320 से 1336 तक सड़क सीमा से 201 मीटर से 500 मीटर अन्दर तक की सीमा में स्थित है। प्रश्नगत भूमि के अन्तर्गत खसरा नं. 1329 एवं 1342 में कुंआ स्थित है एवं इसके अतिरिक्त कोई स्ट्रक्चर्स अवस्थित नहीं है।

अवाप्ताधीन भूमि कृषि भूमि के अन्तर्गत सिंचित/असिंचित श्रेणी की है तथा भूमि की आवासीय योजना हेतु उपयुक्तता एवं भविष्य में होने वाले विकास तथा पौटेन्शियलटी को ध्यान में रखते हुये भू–अर्जन अधिनियम की धारा 23 में वर्णित अन्य दिग्दर्शकों के सन्दर्भित तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त समस्त अवाप्ताधीन भूमि का उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ किया जावेगा। उक्त भूमि का मुआवजा सड़क सीमा से 200 मीटर अन्दर तक 15,02,000/–रूपये प्रति बीघा, सड़क सीमा से 201 मीटर से 500 मीटर अन्दर तक सिंचित एवं असिंचित श्रेणी में क्रमशः 4,05,000/–रू. एवं 3,18,000/–रू. प्रति बीघा की दर से खातेदारों/हितधारियों को भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। अतः मुआवजा राशि की गणना निम्न प्रकार से की जाती है।

वाद संख्या	**काश्तकार का नाम व पिता का नाम**	**खसरा नम्बर रकबा बीघा–बिस्वा में**		**नगद मुआवजा/ 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड**
7(80)/ 10/1	कौशल्या देवी पत्नी रामकिशन शर्मा जाति ब्राहम्ण नि. अलियाबाद	1320 1321	4–09 0–07	खातेदारो द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नही की जा रही है।

अनुमोदित

संयुक्त शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

(178) 926

7(80)/ 10/2	रामविलास, कन्हैया, महावीर पि. तेज्या तुलसा सन्तोक ग्यारसी सीता पुत्रियां तेज्या, बरदी बेवा तेज्या हि. 8/9 बाबू पुत्र जगदीश मोत्या बेवा जगदीश हि. 1/9 कोम माली सा. देह खातेदार	1322	2–12	खातेदारो द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नही की जा रही है।
7(80)/ 10/3	रामविलास, कन्हैया महावीर पि. तेज्या तुलसा, सन्तोक ग्यारसी सीता पुत्रियां तेज्या बरदी बेवा तेज्या हि. 4/9 बाबू पुत्र जगदीश, मोत्या बेवा जगदीश हि. 1/18 हनुमान, रामचन्द्र चोथमल पि. मोती पांची प्रेम धापू पुत्रियां मोती जमना बेवा मोती हि. 7/8 व गणेश पुत्र बजरंगा, नाथी बेवा बजरंगा हि. 1/8 कौम माली सा. देह खातेदार	1323 1324 1325	0.04 2.12 2.00	खातेदारो द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नही की जा रही है।
7(80)/ 10/4	गोपाल, नोरतन पि. रामपाल, सोहनी बेवा रामपाल हि. 2/10 बिला रहन, प्रहलाद, सीताराम पि. केशरा, केशर बेवा केशरा, हि. 2/10, राहिन भूमि विकास बैंक फूला पुत्री केशरा ह. 1/10, हि. 1/2, हनुमान, चौथू, रामचन्द्र पि. मोती हि. 3/16, गणेश पुत्र बजरंग लाल हि. 1/16, रामविलास, कन्हैया, महावीर पि. तेज्या तुलसा, सन्तोक, ग्यारसी, सीता पुत्रियां तेज्या बरदी बेवा तेज्या हि. 8/36, बाबू पुत्र जगदीश, मोत्या बेवा जगदीश हि. 1/36 कौम माली सा. देह खातेदार।	1326 1327 1328 1330 1331 1332	0.17 0.17 1.13 1.11 0.17 2.08	खातेदारो द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नही की जा रही है।
7(80)/ 10/5	प्रभु पुत्र नाथू, बिरदा बेवा नाथू सूजा पुत्री नाथू कोम माली सा. देह खातेदार, राहिन भूमि विकास बैंक टोंक मूर्तहिन।	1329	2.11	खातेदारो द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नही की जा रही है।
7(80)/ 10/6	रामकिशोर, गुलाबचन्द पि. कालू, लादी पुत्री कालू, हि. 3/8, कन्हैयालाल, रमेश, धन्नालाल, छोटू पिता केशरा सीता पुत्री केशरा, फूला बेवा केशरा, हि. 1/8, औकार पुत्र नारायण हि. 1/6, रामकरण पुत्र नारायण हि. 1/6, राहिन सम्पूर्ण स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, जमना पुत्र नारायण हि. 1/6 कौम माली सा. देह खातेदार	1333 1334 1335	1.17 1.17 2.02	खातेदारो द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नही की जा रही है।
7(80)/ 10/7	भागीरथ पुत्र गंगाराम हि. 1/2, नानगराम, ताराचन्द गणेश पि. लक्ष्मीनारायण हि. 3/8, कन्हैया पुत्र गोपाल 1/8	1336	3.07	खातेदारो द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नही की जा रही है।

संयुक्त शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

427 179

7(80)/10/8	श्रीमति मधुबाला, कोटावाला, धर्मपत्नि श्री नन्दकुमार जी, कोटावाला जाति अग्रवाल हि. नि. – 3, कृष्णा मार्ग सी–स्कीम जयपुर।	1337 1338 1341 1343 1344 1346 1347 1348 1349 1351 1353 1354 1355 1358 1359	1.15 3.16 7.13 0.03 2.00 1.15 2.00 1.02 2.15 1.18 1.13 0.09 1.09 1.01 1.19	खातेदारो द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नही की जा रही है।	
7(80)/10/9	भागीरथ पुत्र गंगाराम हि. 1/2, नानगराम, ताराचन्द, गणेश पि. लक्ष्मीनारायण हि. 3/8, कन्हैया पुत्र गोपाल हि. 1/8, कौम माली सा. देह खातेदार	1342 1352	4.12 5.01	खातेदारो द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नही की जा रही है।	
7(80)/10/10	श्रीमती मधुबाला कोटावाला पत्नी श्री नन्दकुमार कोटावाला निवासी–एल–3, कृष्णा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।	1350	3.13	खातेदारो द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भुखण्ड की मांग किये जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नही की जा रही है।	
7(80)/10/11	हनुमान, रामबाबू, बजरंग लाल पि. जगदीश, सन्तोष, संतरा, मन्नू पूत्रियां जगदीश, गोविंदी बेवा जगदीश कोम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार	1356	3.05	15,02,000 प्रति बीघा भूमि कीमत	48,81,500
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				अ	48,81,500
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	14,64,450
				योग अ+ब	**63,45,950**
7(80)/10/12	नगरपालिका निवाई	1339	6.09	15,02,000 प्रति बीघा भूमि कीमत	96,87,900
				तकमीना मण्डल अनुसार	–
				अ	96,87,900
				30% अनिवार्य अवाप्ति ब	29,06,370
				योग अ+ब	**1,25,94,270**
7(80)/10/13	राजस्थान सरकार	1357	1.07	राजकीय भूमि होने के कारण गणना नहीं की जा रही है।	

खातेदारों को उपर्युक्त मुआवजा राशि के अतिरिक्त भूमि की कीमत पर धारा 23(1)ए के नियमानुसार 12 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि धारा 4(1) के अन्तिम नोटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन से भूमि पर कब्जा लेने या अवार्ड जारी करने तक की दिनांक जो भी पहले से न्यायालय में स्थगन की अवधि यदि कोई हो तो छोड़कर देय होगा साथ ही भू–अर्जन अधिनियम धारा 34 के अनुसार कब्जे की दिनांक से नहीं भुगतान की गयी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से 1 वर्ष की अवधि तथा 1 वर्ष के पश्चात् भुगतान की जाने वाली राशि पर भुगतान की तिथि पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

अनुमोदित

हस्ताक्षर
संयुक्त शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

(180) (423)

जिन खातेदारों/हितधारियों ने 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड का विकल्प दिया है उनको राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के अनुसार अधिकतम 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड जिसमें 20 प्रतिशत आवासीय 5 प्रतिशत वाणिज्यिक विकसित भूखण्ड खातेदार की अवाप्त की जाने वाली भूमि में या उस योजना में जिसके लिए भूमि अवाप्त की गई है, में ही आवंटन किया जा सकेगा। यदि अवाप्तुशदा भूमि के बदले आवासीय भूमि का आवंटन उसी स्थान पर किया जाता है तो प्रार्थी को निर्मित भवनों का मुआवजा अलग से देय नहीं होगा। उसी योजना में किन्हीं अन्य स्थान पर भूमि आवंटन किए जाने की स्थिति में निर्मित भवनों का अलग से मुआवजा सम्बन्धित बी.एस.आर. से देय होगा। कुंआ वृक्ष इत्यादि का मुआवजा देय नहीं होगा।

संरचनाओं (स्थाई व अस्थाई निर्माण) का मूल्यांकन आवासीय अभियन्ता की तकमीना रिपोर्ट प्रचलित बी.एस.आर. की दरों के आधार मानते हुए तय किया जाता है। इसी प्रकार भूमि पर स्थित सभी प्रकार के वृक्षों बड़े, मध्यम व छोटी श्रेणी के लिये क्रमशः 1500, 500, 100 प्रति नग के हिसाब से दिया जाना प्रस्तावित हैं लेकिन यदि खातेदार मुआवजा नहीं लेकर पेड़ लेना चाहे तो उन्हें यह विकल्प दिया जा रहा है। यदि कोई स्ट्रक्चर्स भूमि के कब्जे से पूर्व खातेदार द्वारा हटा दिया जाता है तो सम्बन्धित अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर राशि वसूल की जावेगी।

मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड हितधारियों द्वारा वर्तमान जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल नामान्तरण राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति एवं किसी बैंक में रहन होने की स्थिति में सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करने पर ही यथोचित पहचान उपरान्त दिया जावेगा। किसी हितधारी की मृत्यु होने की दशा में वारिसान में विवाद न होने पर नामान्तरण व हाल जमाबन्दी में अंकित उत्तराधिकारियों को हिस्सेनुसार मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड दिये जावेंगे। साथ ही अवाप्ताधीन भूमि बाबत किसी सक्षम सिविल/राजस्व/उच्चतर न्यायालय में विवाद विचाराधीन होने पर उक्त अवार्ड सम्बन्धित न्यायालय के आदेशों/निर्णयों के अध्याधीन होगा तथा तदनुसार संशोधित क़िया जा सकेगा।

अतः भूमि का अवार्ड प्रारूप आज दिनांक 04-04-13 को तैयार कर शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर को अनुमोदनार्थ दोहरी प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है।

अनुमोदित

संयुक्त शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

विशेषाधिकारी
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक प.7(80)न.वि.वि./3/06 जयपुर दिनांक 25.04.13 के द्वारा अवार्ड का अनुमोदन किया गया। अतः इसी के अनुरूप उक्त अवार्ड को सरे इजलास घोषित किया जाकर मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 08.05.13 को जारी किया गया।

भू–अर्जन अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार अवार्ड सम्बन्धित पत्रावलियों में शामिल किया जाकर भू–अर्जन अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत सभी हितधारियों को अवार्ड की प्रति जरिए नोटिस सूचित किया जावें।

विशेषाधिकारी
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–ओ.एस.डी./न.वि.वि/13/128 दिनांकः– 8-5-2013

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं

1. संयुक्त शासन सचिव, II नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. तहसीलदार, निवाई, जिला टोंक।
4. सम्बन्धित खातेदार।
5. अवार्ड पत्रावली।

विशेषाधिकारी
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर